

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 26 August 2026

5 KM से दूर है स्कूल तो यूपी सरकार छात्रों के खाते में भेजेगी 6000 रुपये, जानिए कैसे मिलेगा योजना का लाभ।

Publisher

Published on 14 Jul 2025



उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला : अब दूर-दराज स्कूल जाने वाले छात्रों को हर साल ₹6000 की यात्रा सहायता, जाने फॉर्म भरने से लेकर पैसा पाने तक की पूरी प्रक्रिया।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने दूर-दराज के इलाकों में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक अहम योजना की शुरुआत की है। अब जिन छात्रों का सरकारी स्कूल उनके घर से 5 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर है, उन्हें हर साल ₹6000 की यात्रा सहायता दी जाएगी। इस फैसले से न केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि स्कूल ड्रॉपआउट की दर भी कम होगी।

किन छात्रों को मिलेगा इस योजना का लाभ ?

यह योजना फिलहाल **बुंदेलखंड** और **सोनभद्र** जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों के लिए लागू की गई है। इसे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों — झांसी, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और सोनभद्र में लागू किया गया है।

योजना से लाभान्वित होने वाले छात्र:

1. कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले छात्र
2. जिनके घर से कोई सरकारी स्कूल 5 KM के दायरे में नहीं है
3. प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत चयनित 146 सरकारी स्कूलों की छात्राएं भी इस योजना में शामिल होंगी

कैसे मिलेगा ₹6000 का लाभ?

छात्रों को योजना का लाभ पाने के लिए एक निर्धारित फॉर्म भरना होगा। यह प्रक्रिया इस प्रकार है:

१. छात्र फॉर्म में यह घोषणा करेंगे कि उनके 5 किमी के भीतर कोई सरकारी स्कूल नहीं है
२. फॉर्म की प्रामाणिकता की जांच गांव के प्रधान और स्कूल प्रिंसिपल करेंगे
३. इसके बाद नगर पार्षद द्वारा अंतिम सत्यापन किया जाएगा
४. सभी दस्तावेजों की पुष्टि होने के बाद, ₹6000 की राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी

योजना के नियम और शर्तें

१. छात्र को योजना का लाभ तभी मिलेगा जब वह स्कूल में नियमित रूप से उपस्थित रहेगा
२. पिछली कक्षा के मुकाबले कम से कम 10% अधिक उपस्थिति होनी अनिवार्य है
३. यह राशि साल में एक बार ट्रांसफर की जाएगी
४. इस योजना से खासकर गांव की बेटियों को स्कूल पहुंचने में सुविधा होगी, और वे बिना रुकावट अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगी।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.